

27.11.2024:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली
मे अधिवक्ता की बहस एव साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर
रखते हुए। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले
न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राशि
सहस्रक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

